**माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड–छतीसगढ़ का आदेश एवं परम्परागत उरांव समाज की न्यायिक व्यवस्था**

माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के द्वी–सदस्यीय पीठ द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा के मामले में दिनांक 08.04.2021 के फैसले के कंडिका 29 में कहा गया है कि - "We, accordingly, set aside the judgement dated 16.03.2018, passed in Original Suit No. 583 of 2017 by the Principal Judge, Family Court, Ranch, and remand the matter to Family Court to frame an appropriate issue in regard to existence of provision of customary divorce in the community of the parties to these proceeding to get marriage dissolved. We permit the parties to amend the pleading, if so desire and also to lead evidence to prove the existence of a provision of customary divorce in their community. The Family Court will consider the matter afresh without being influenced by the observations made by this court hereinabove expeditiously. (तदनुसार, हम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रांची द्वारा 2017 के मूल वाद संख्या 583 में पारित दिनांक 16.3.2018 के निर्णय को रद्द करते हैं और इस मामले को कुटुंब न्यायालय को भेज देते हैं ताकि वह इस मामले में विवाह भंग करने के लिए पक्षकारों के समुदाय में प्रथागत तलाक के अस्तित्व के संबंध में एक उपयुक्त मुद्दा बनाये। हम पक्षकारों को, यदि वे ऐसा चाहते हैं तो, याचिकाओं में संशोधन और अपने समुदाय में प्रथागत तलाक के प्रावधान के अस्तित्व को साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं। कुटुम्ब न्यायालय इस न्यायालय द्वारा एतद्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना शीघ्रता से इस मामले पर नए सिरे से विचार करेगा।

# फैमिली कोर्ट को कस्टमरी लॉ के तहत तलाक देने की है शक्ति : हाइकोर्ट

**वरीय संवाददाता, रांची**

- उरांव जनजाति के प्रार्थी की तलाक की याचिका का मामला, फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
- **हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को किया खारिज, सुनवाई के लिए मामले को वापस भेज दिया**
- कहा : फैमिली कोर्ट एक्ट एक सेक्यूलर लॉ है, कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला कर सकता है

झारखंड हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने उरांव जनजाति के प्रार्थी के तलाक से संबंधित मामले को रांची के फैमिली कोर्ट को सुनवाई के लिए वापस भेज दिया. साथ ही फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा-सात, जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है, एक सेक्यूलर कानून है.

खंडपीठ ने जोर दिया कि फैमिली कोर्ट एक्ट-1984 सभी धर्मों के लिए लागू एक धर्मनिरपेक्ष कानून है. फैमिली कोर्ट में कस्टम को प्रूफ करने की जरूरत होगी. कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर निर्णय लेने की शक्ति फैमिली कोर्ट के पास है. मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन व कुमार वैभव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि उरांव जनजाति के युवक का विवाह वर्ष 2015 में हुआ था. विवाहेत्तर संबंध के कारण वह पत्नी से तलाक चाहता था.

**राह है मामला** : उरांव जनजाति के युवक ने रांची फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की थी. फैमिली कोर्ट ने तलाक के लिए दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मेंटेनेबल नहीं है. यह कोर्ट कस्टमरी लॉ के तहत तलाक पर फैसला नहीं सुना सकता है. कस्टमरी लॉ लिपिबद्ध नहीं है. यह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. प्रार्थी ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

**उरांव जनजाति समाज में छुटा-छुटी का है प्रावधान** : एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने बताया कि उरांव जनजाति समाज में बैठक कर निर्णय लेकर पति-पत्नी के अलग होने (छुटा-छुटी) का प्रावधान है. तलाक के लिए इच्छुक युवक ने समाज में बैठक के लिए मामले को आगे किया, लेकिन लड़की (पत्नी) के शामिल नहीं होने के कारण समाज की बैठक नहीं हो पायी. इसके बाद युवक ने अपने कस्टमरी लॉ का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट में धारा-सात के तहत तलाक के लिए मामला दायर कर दिया.

इसी तरह बिलासपुर, छतीसगढ़, के नवभारत समाचार पत्र में दिनांक 26.12.2023 को खबर छपी – हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक का क्या नियम है ? तथा माननीय उच्च न्यायालय ने पिटिशिनर को नये सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी।)''

नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Bilaspur City - 26 Dec 2023 - 26 Nya 1a
epaper.navabharat.news

रन लगा। इसका विरोध करने पर सिपाहा सिपाहा का सस्पेंड कर दिया है।

# हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों में तलाक के क्या नियम हैं

## याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की छूट

नवभारत रिपोर्टर। बिलासपुर।

हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने तलाक की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि,केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर आदिवासी समाज में तलाक के मामले में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश पिटीशन दायर करने की भी छूट दी है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के डीबी में इस मामले की सुनवाई हुई। यह मामला कोरबा जिले का है, जहां आदिवासी समाज से आने वाले पति-पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पत्नी ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए



परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी थी और तलाक की अर्जी को नामंजूर कर दिया था। पत्नी ने इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। याचिका में पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की मांग की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कहा याचिकाकर्ता के एडवोकेट से पूछा कि क्या आदिवासी समाज में हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। उन्होंने एडवोकेट को एक्ट की धारा पढ़ने के लिए कहा और साफ किया कि, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस प्रकरण में तलाक मंजूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान पति की ओर से तलाक की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन देने की बात कही गई।

डीबी ने स्पष्ट किया कि, अपील पर आपत्ति नहीं हो सकती। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ट्राइबल में तलाक के क्या नियम है। इस पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फ्रेश याचिका दायर करने की भी छूट दी है।

'माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के इस आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों को पालन करते हुए परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023 द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से चिवार–विमर्श कर, त्रिस्तरीय **परम्परागत सामाजिक न्याय पंच** पद्धति – 1) पद्दा (ग्राम) न्याय पंच 2) पड़हा न्याय पंच 3) बेलपंच्चा न्याय पंच, के स्तर पर बिसुसेन्दरा (परम्परागत उराँव समाज का सामाजिक संसद स्वरूप) में सामाजिक मार्ग–दर्शन तैयार किया गया। उराँव (कुँड़ुख़) भाषा में गांव को पद्दा कहा जाता है तथा कई गांव का समूह (परम्परागत रूप से निर्धारित) मिलकर पड़हा बैठक करते हैं। इसमें, गांव के किसी भी मुद्दे को पहले **ग्राम सभा** के सामने, शिकायत करना होगा। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कर बुलावे तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करे और शिकायत का निपटारा करे।

इस प्रणाली द्वारा दिये गए फैसले की समीक्षा अथवा चुनौती के लिए क्रमवार, अपील I – **पड़हा न्याय पंच** द्वारा एवं अपील II – **बेलपंच्चा न्याय पंच** (सामाजिक न्याय व्यवस्था बईसकी में कम से कम तीन या पांच पड़हा बेल शामिल हो) द्वारा निर्णय करें। बेलपंच्चा न्याय पंच की अध्यक्षता, याचिकाकर्ता द्वारा आवेदित पड़हा बेल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय मान्य होगा। उपरोक्त तीनों बैठक की प्रकिया में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा या पड़हा का अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय को उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर कराएँ या ठेपा निशान लगाएँ।''

'माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची के इस आदेश के बाद, परम्परागत उराँव आदिवासी समाज के लोगों ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था के निर्देशों को पालन करते हुए परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023 द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन कर विधि के जानकारों से चिचार–विमर्श कर, त्रिस्तरीय **परम्परागत उरांव सामाजिक न्याय पंच** पद्धति – (1) पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा) न्याय पंच, यह ग्राम स्तर पर होता है। (2) पड़हा पंच्चा न्याय पंच, यह उरांव समाज में पड़हा स्तर पर होता है। (3) बेल पंच्चा न्याय पंच, यह की पड़हा बेल अपनी टीम के साथ समीक्षा सभा करते हैं, जिसमें 3 या 5 या 7 या 9 पड़हा बेल मांग एवं विषय वस्तु के अनुसार शामिल होते हैं। मिलकर  के स्तर पर बिसुसेन्दरा (परम्परागत उराँव समाज का सामाजिक संसद स्वरूप) में सामाजिक मार्ग–दर्शन तैयार किया गया। उराँव (कुँड़ुख़) भाषा में गांव को पद्दा कहा जाता है तथा कई गांव का समूह (परम्परागत रूप से निर्धारित) मिलकर पड़हा बैठक करते हैं। इसमें, गांव के किसी भी मुद्दे को पहले **ग्राम सभा** के सामने, शिकायत करना होगा। ग्राम सभा, दोनों पक्षों को नोटिस तामिला कर बुलावे तथा सभा की कार्यवाही को ग्रामसभा द्वारा अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करे और शिकायत का निपटारा करे।

इस प्रणाली द्वारा दिये गए फैसले की समीक्षा अथवा चुनौती के लिए क्रमवार, अपील I – **पड़हा न्याय पंच** द्वारा एवं अपील II – **बेलपंच्चा न्याय पंच** (सामाजिक न्याय व्यवस्था बईसकी में कम से कम तीन या पांच पड़हा बेल शामिल हो) द्वारा निर्णय करें। बेलपंच्चा न्याय पंच की अध्यक्षता, याचिकाकर्ता द्वारा आवेदित पड़हा बेल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें अधिकतम पड़हा बेल का निर्णय मान्य होगा। उपरोक्त तीनों बैठक की प्रकिया में संबंधित विषय वस्तु को क्रमशः ग्रामसभा या पड़हा का अधिकृत रजिस्टर में दर्ज करें एवं लिये गए निर्णय को उल्लेख करें तथा उपस्थित पंच लोगों का हस्ताक्षर कराएँ या ठेपा निशान लगाएँ। बिसुसेन्दरा द्वारा पारित यह प्रस्ताव, सामाजिक व्यवहार के लिए जनहित में जारी है।''

परम्परागत उरांव समाज की त्रिस्तरीय सामाजिक न्याय पंच प्रणाली ''परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023'' द्वारा लिया गया फैसला प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। उपरोक्त सामाजिक न्याय प्रणाली की पर टिप्पणी न करते हुए कुछ सुझाव इस प्रकार है :–

1. परम्परागत उरांव समाज में इस व्यवस्था को परम्परागत उरांव सामाजिक नेवई (न्याय) पंच कहा जाए।

2. परम्परागत उरांव सामाजिक नेवई (न्याय) पंच त्रिस्तरीय हो, जिसका स्वरूप इस प्रकार हो –

   (क) पद्दा पंच्चा (ग्रामसभा) न्याय पंच – यह ग्राम स्तर पर होता है।

   (ख) पड़हा पंच्चा न्याय पंच – यह उरांव समाज में पड़हा स्तर पर होता है।

   (ग) बेल पंच्चा न्याय पंच – यह की पड़हा बेल अपनी टीम के साथ समीक्षा सभा करते हैं, जिसमें 3 या 5 या 7 या 9 पड़हा बेल मांग एवं विषय वस्तु के अनुसार शामिल होते हैं।

यहां पद्दा का अर्थ गांव है। परम्परागत रूप से सभी उरांव गांव में एक अखड़ा है, जहां करम पुजा (पुजा का अर्थ पूरआ गे उःजना समझा जाता है) होता है, एक चाःला थान (सरना स्थल), एक देबीगुड़ी थान (देवी स्थल) और गांव का मसना सामूहिक तौर पर हुआ करता है, परन्तु किसी गांव का टोला में सरना या देवीगुड़ी नहीं होता है। गांव में टोला बढ़ने से देव–पितर का बंटावारा नहीं हुआ है, पर वहां पर चढ़ाए गये जल और फूल का बंटवारा हुआ करता है। वर्तमान समय में खशकर शहरी क्षेत्रों में, इन मुद्दों में भी बदलाव हुआ है। शहर में समाज का समूह छुट गया और समूह छुटने से सामुहिकता और सामूकि व्यवस्था में विखराव हुआ और उरांव समाज के लोग दूसरे संगठित आस्था–विश्वास वाले समूह के संगत में चलते चले गजाने लगे।

पंच्चा का अर्थ उरांव समाज में सामाजिक न्याय प्रणाली है। इसका संबंध पचा और पचोरा से है जो पंचनामा के अर्थ से आंशिक तौर पर समझा जा सकता है। हिन्दी का पंचनामा का अर्थ साक्ष्य संग्रह करना है। परन्तु पद्दा पंच्चा या पड़हा पंच्चा या बेल पंच्चा का अर्थ साक्ष्य संग्रह करना तथा सामाजिक न्याय करना एवं दण्ड विधान निर्धारण करना भी है।

पंच्चा शब्द के साथ कई गाना उरांव भाषा में गाया जाता है –

1. पंच्चा ननो बाःरी गमय–गोसोय मननय,
   पंच्चा ननो बाःरी गमय–गोसोय मननय।
   किस्स अहड़ा मोःख़ो बाःरी लब्ब–लब्ब मननय,
   किस्स अहड़ा मोःख़ो बाःरी लब्ब–लब्ब मननय।

भावार्थ – यह महिलाओं द्वारा पुरूषों पर सामाजिक न्याय के दौरान उठती भावनाओं पर टिप्पणी है।

2. पंच्चा भईयर बअ़दी कोय पेलो,
   पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।
   हेओर दरा लवओर कोय पेलो,
   पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।
   अखड़ा नू संगे निंगहय बेःचोन कोय पेलो,
   पंच्चा भईयर निंगहय एन्देर ननोर।

भावार्थ – एक प्रेमी, अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है और उसका साथ के लिए के लिए सज्ज है।

3. बेल झण्डा चोःचा गुचा सपड़ारआ।
   कन्ना–बलम धरआ गुचा बिसुसेन्दरा।
   पड़हा पंच्चा चोःचा गुचा सपड़ारआ,
   बेल पंच्चा ओक्का गुचा बिसु टोंका।

भावार्थ – यह वीर रस वाली बाल कविता है। बच्चों के बीच इसे सामाजिक जागरण हेतु गाया जाता है।

इस प्रणाली में गांव के किसी शिकायत पर पहले **पद्दा पंच्चा/ग्राम सभा** के सामने लाया जाता है। उसके बाद यदि ग्रामसभा के निर्णय पर स्वीकार न होने पर वह मामला पड़हा के बीच पंहुचता है और वहां **पड़हा पंच्चा** में गलती पाये जाने पर जुर्माना किया लाता है।

न्न्यायालय व्यवस्था का किसी मामले को समीक्षा करने के लिए अवसर प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में उरांव समाज ग्राम सभा के मामले की समीक्षा प्रथम स्तर पर पड़हा में करता है और उससे उपरी समीक्षा स्थल बिसुसेन्दरा है। पर त्वरित एवं पारदर्शी न्याय के लिए दूसरी व्यवस्था को परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो में बेल पंच्चा न्याय पंच को स्वीकार किया गया है जिसे **बेल पंच्चा** कहा जाता है। यहा शिकायत आने पर कई पड़हा के पड़हा बेल अपनी टीम कं साथ सुयुक्त रूप से निर्णय लेते है।

इसी संदर्भ में दिनांक 31.05.2022, दिन मंगलवार को डॉ० नारायण उराँव, सैन्दा, सिसई (गुमला), अपने वकील मित्र श्री बिन्देश्वर साहू (वकालत परिसंघ, गुमला) के साथ पारम्परिक उराँव समाज के सामाजिक एवं वैधानिक समस्याओं के संबंध में विमर्श करने हेतु गुमला कचहरी (झारखण्ड) में विधि के जानकारों से मिले। डॉ० नारायण एवं विधि के जानकारों की बातें हुई। डॉ० नारायण ने सामाजिक मुद्दे पर बाचीत करते हुए कहा कि – ''पारम्परिक एवं

रूढ़ीगत व्यवस्था के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों की सामाजिक समस्याएँ कोर्ट–कचहरी में सुनी नहीं जाती है। प्रश्नोत्तर में महोदय बोले कि कोर्ट या प्राधिकार, शिकायत की सुनवाई करता है, कोई नया नियम नहीं बनाता है। यदि कोई शिकायत हो तो कोर्ट या प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधि सेवा दिया जाएगा और यदि सामाजिक हित में कोई नया नियम बनाने की बात हो तो समाज के लोगों को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या राज्यपाल के पास जाना चाहिए। कोर्ट या न्यायालय, संविधान सम्मत तथ्यों के आधार पर शिकायत का निपटारा एवं न्याय करता है।

उक्त तथ्यों की जानकारी के बाद, परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि अपने समाज में हुए शिकायत को बैठकर लिखा–पढ़ी के साथ अभिलेख तैयार करते हुए कार्य किया जाएगा। इसके लिए, परिवाद यदि परिवार स्तर पर न सुलझे तो रूढ़ी–परम्परा के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए।
परम्परा के अनुसार वाद या परिवाद को निम्नलिखित तरीके से कार्य किया जाना चाहिए –

1. सर्वप्रथम वाद या विवाद पद्दा सबहा/ग्राम सभा में आये तो, **पद्दा पंच्चा/ग्रामसभा** द्वारा दोनों पक्ष को नोटिस देकर बुलाया जाएगा और दोनों पक्ष के बातों को गवाहों के सामने सुनकर तथा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। गवाह पंचगण होंगे। पद्दा पंच्चा अथवा ग्रामसभा की अध्यक्षता, रूढ़ी–प्रथा के अन्तर्गत कार्यरत संबंधित गांव का पहान द्वारा अथवा पहान की अनुपस्थिति में महतो द्वारा किया जाएगा।
2. यदि **पद्दा पंच्चा/ग्रामसभा** में किसी मामले का निपटारा न हो तो यह मामला पड़हा में जाएगा। उस पड़हा के लोग (जिसमें 3, 5, 7, 9, 12, 22 गांव जो प्रथागत बुनियादि पड़हा में) **पड़हा पंच्चा** का बैठक में निर्णय करें। पड़हा पंच्चा की अध्यक्षता, पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के हस्ताक्षर के साथ लिखित कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज हो।
3. यदि एक बुनियादि पड़हा स्तर पर मामले का निपटारा न हो तो यह मामला सहयोगी पड़हा (3 या 5 या 7 या 9 पड़हा समूह के बेल, अपने सहयागियों के साथ) **बेल पंच्चा** करें और निर्णय लें। बेल पंच्चा में सबहा की अध्यक्षता, आवेदक द्वारा प्रस्तावित पड़हा बेल द्वारा किया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के सामने लिखित हो। इन तीन बैठक के निर्णय से यदि वादी या प्रतिवादी असंतुस्ट हों तो वे न्यायालय या बिसुसेन्दरा में मामले को ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

इस तरह, परम्परागत ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा, सिसई–भरनो 2023 एवं टाटा स्टील फाउण्डेशन के तकनीकी सहयोग से अद्दी अखड़ा, रांची संस्था द्वारा 2023 में समीक्षा कराकर फरवरी 2024 को प्रकाशित किया है। इसका ऑनलाईन प्रकाशन kurukhtimes.com पर https://kurukh/node/377 के पर उपलब्ध है। पूर्व में भी परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2022 द्वारा लिया गया निर्णय ऑनलाईन प्रकाशन kurukhtimes.com पर https://kurukh/node/285 के पर उपलब्ध है। इसके पी.डी.एफ. रूप को kurukhtimes.com से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

आलेख –
डॉ नारायण भगत,
विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय कुँड़ुख़ विभाग,
रांची विश्वविद्यालय, रांची।
दिनांक – 30 अप्रील 2024
मो0 न0 – 8521458677